

(4)

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-12/2017-18

केनारा बैंक, चास

बनाम्

M/S Bhagwati Electrical Works & oths.

—: आदेश :-

25.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, केनारा बैंक, लक्ष्मी निवास, बाईपास रोड, चास, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Bhagwati Electrical Works प्र० श्री प्रदीप कुमार पिता श्री प्रहलाद गोरई सा०-दारकु नगर, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

पञ्जरूप न्यायालय में सक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष केनारा बैंक, चास, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा भगवानपुर-52, खाता सा०-13, प्लॉट सं०-873 रकबा-10डो, चन्दनाकेयारी रोड के विद्यापति नगर में अवस्थित) को गिरवी रखते हुए 31,00,000.00 (एकतीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.09.2016 को ही एनपीओ हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी अनुपस्थित। नोटिस तामिलकर्ता द्वारा सूचित किया गया है कि विपक्षी ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, केनारा बैंक, लक्ष्मी निवास, बाईपास रोड, चास, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए

(5)

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

23.08.18

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।